कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14( )2019/रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ 1918 दिनांक 03/06/22

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagour Road (74+619) of Jodhpur district of Rajasthan. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD /32975/2018)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ कार्यालय का पत्र सं. 8बी/राज/06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित की गई शर्तो की पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ने अपने पत्रांक 3291 दिनांक 19.04.2022 एवं पत्रांक 3856 दिनांक 13.05.2022 से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्ते	पालना रिपोर्ट
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534X2 = 15.068 है0) अर्थात 15.068 है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 15.068 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु पूर्व में राशि रूपये 20,61,755/– कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवाकर पालना कर दी गई हैं। वर्तमान में बढी हुई दरो के अनुसार शेष अन्तर राशि 3,55,152/– जरिये चालान संख्या 6132975958 दिनांक 16.02.2022 रूपये 3,55,152/– UTR No. P06720157297236 Dt. 08.03.2022 को राजस्थान कैम्पा में जमा करवाकर पालना कर दी गई हैं।
2.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007– एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। **(ख)** इसके उपरांत जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी, सीए तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.534 है0 वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य एन.पी.वी. की राशि 4.38 लाख रूपये प्रति हैक्टर की दर से कुल राशि 32,99,892/– रूपये कैम्पा नई दिल्ली के खाते में जमा करवा दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 2061755/– तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु रूपये 3299892/– कैम्पा नई दिल्ली के कार्पोरेशन बैंक के खाते में UTR No. CNRBR52019010500584426 द्वारा जमा करवा दिये गये है।

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होने की स्थिति में अन्तर राशि जमा करवाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। (प्रति संलग्न)
3.	इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट सं. 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है।	इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लॉट सं. 534 की वनभूमि सम्मिलित नहीं है। जिसके स्पष्टीकरण हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त खसरे में नामान्तरकरण संख्या 1226 दिनांक 04.01.2019 से रकबा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद एवं तरमीम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत किये है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है। (प्रति संलग्न)
4.	इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से 6 माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	शर्त संख्या 4 की पालना में एक अतिक्रमण को छोडकर सभी अतिक्रमणों को मौके से हटा दिया गया है। उक्त भूमि में खसरा सं. 867 में परियोजना चैनेज संख्या 39+375 से 39+520 तक (राईट हेण्ड साईड) सड़क के राईट साईड में स्थित एक अतिक्रमण हटाया जाना शेष है। उक्त अतिक्रमण से संबंधित वाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। माननीय न्यायालय निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण, उप वन संरक्षक, जोधपुर एवं मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा संयुक्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र जारी कर संलग्न प्रस्तुत है।
5.	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा । अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वनक्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि. 16.11.15 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

	Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
7.	वृक्षों का .पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देखरेख में किया जायेगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
10.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, जो संलग्न है।
11.	कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11–306/2014–एफ.सी. (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा बिना पूर्वानुमति कार्य प्रारम्भ न करने का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है।
12.	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाया जावें।	यूजर एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र संलग्न किया है।

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः प्राप्त पालना की दो प्रतियां **(एक मूल एवं एक छायाप्रति)** प्रेषित कर निवेदन है कि एक मूल प्रति भारत सरकार को अग्रेषित कर प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14( )2019/रोड़स्/एफसीए/प्रमुवसं/ 1919 दिनांक 07/06/22

प्रतिलिपिः–Deputy Inspector General of Forests (Central), Government of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, IRO, Jaipur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ख्याति माथुर)
मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
अरण्य भवन, जयपुर

1.6.22

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/ 3856 दिनांक 13/5/22

निमित:

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर

विषय: डायवर्जन ऑफ 7.534 हेक्टर फोरेस्ट लैण्ड फार अपग्रेडेशन ऑफ जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 1 डांगियावास (0+000) टु नागौर रोड (74+619) इन जोधपुर राजस्थान (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/32975/2018)

1223
18/5/22

संदर्भः— श्रीमान का पत्रांक एफ14 ( )रोड/2018/एफसीए/प्रमुवस/1461 दिनांक 27—4—2022 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 1175 दिनांक 12—5—2022

महोदय,

18/5/22
DCF(FC)

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा आलौच्य प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये है, बिन्दुवार अनुपालना निम्नानुसार है :—

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त	संदर्भित पत्र द्वारा अंकित आक्षेप	अनुपालना
शर्त संख्या 4 : इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	शर्त संख्या 4 की पालना विभाग स्तर पर भी की जानी है। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता के साथ साथ आपके कार्यालय एवं उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पालना हेतु वचनबद्धता दिया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 4 की पालना में एक अतिक्रमण को छोडकर सभी अतिक्रमणों को मौके से हटा दिया गया है। उक्त भूमि में खसरा सं 867 में परियोजना चैनेज संख्या 39+375 से 39+520 तक (राईट हेण्ड साईड) सडक के राईट साइड में स्थित एक अतिक्रमण हटाया जाना शेष है। उक्त अतिक्रमण से संबंधित वाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। माननीय न्यायालय निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण, उप वन संरक्षक, जोधपुर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संयुक्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र जारी कर संलग्न प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 10 सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।	शर्त संख्या 10 की पालना उप वन संरक्षक द्वारा किया जाना आवश्यक है।	उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, जो संलग्न है।

संलग्न— उक्तानुसार।

भवदीय

13/5/22
(बेगाराम जाट)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक : एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/ दिनांक

प्रतिलिपि

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना निदेशक, एनएचएआई, परियोजना ईकाई जोधपुर 188 राजीवयान, उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा, जोधपुर पिन 342011 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

	2(ख) इसके उपरान्त जमा की धनराशि की ऑनलाईन ई रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एनपीवी हेतु जमा धन राशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। 2(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर पर) प्रस्तुत करेगें कि यदि एनपीवी की दर में बढोतरी हाती है तो बढी हुए धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एनपीवी की राशि 3299892/— कैम्पा नई दिल्ली के कारपोरेशन बैंक के खाता में UTR No CNRBR52019010500584426 द्वारा जमा करवा दिये गये है। शर्त संख्या 2 के अनुसार एनपीवी की राशि में बढोतरी होने की स्थिति में अन्तर राशि जमा कराने का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
3	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है।	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है। जिसके स्पष्टीकरण हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त खसरा में नामान्तरण संख्या 1226 दिनांक 4—1—2019 से रकबा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद एवं तरमीम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
4	इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संध में वन रक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
5	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तंभ के आगे forward एवं पीछे backword उनकी दिशा bearing भी लिखनी होगी।	इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र यूजर एजेन्सी ने प्रस्तुत किया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी सैन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16—11—2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
7	वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वनविभाग की देखरेख में किया जायेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय का

आज़ादी का अमृत महोत्सव
कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर
पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ (104)/FCA/ROAD/उवसं/2022/1175 दिनांकः 12/05/2022

निमित्

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषयः Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0.000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018)

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन, राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ 14 ( ) 2018 /रोड/एफसीए/प्रमुवसं/1461 दिनांक 27.04.2022 एवं आपका पत्रांक एफ( )एफसीए / मुवसंजो /2018/3747 दिनांक 11.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र की अनुपालना में बिन्दु संख्या 4 एवं 10 के क्रम में लगाऐ गऐ आक्षेपों की इस कार्यालय द्वारा पूर्ति कर 4–4 प्रति में वचनबद्धता संलग्न कर आप श्रीमान के समक्ष अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(विकास अरोडा)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकःसम दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर 188, उम्मेद हैरीटेज, रातानाड़ा, जोधपुर–342011 (राज.)

उप वन संरक्षक
जोधपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

221

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/3291 दिनांक 19/04/2022
निमित:

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए
राजस्थान, जयपुर

विषय: डायवर्जन ऑफ फोरेस्ट लैण्ड फार अपग्रेडेशन ऑफ जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 1 डांगियावास (0+000) टु नागौर रोड (74+619) इन जोधपुर राजस्थान (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/32975/2018)

संदर्भ:— भारत सरकार का पत्रांक 8 बी/राज/06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31—12—2018, श्रीमान का पत्रांक एफ14 ( )रोड/2018/एफसीए/प्रमुवस/3740 दिनांक 23—12—21 एवं उप वन संरक्षक जोधपुर का पत्रांक 12872 दिनांक 29.03.2022, 12875 दिनांक 29.03.2022, 154 दिनांक 08.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में श्रीमान के पत्रांक 3740 दिनांक 23.12.2021 के क्रम में उप वन संरक्षक जोधपुर ने संदर्भित पत्रों के द्वारा निम्न सूचनाएं/अनुपालनाएं प्रस्तुत की है:—

1. श्रीमान के संदर्भित पत्र के द्वारा चाही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा एनपीवी की सम्मिलित जमा राशि 5361647/— (क्रमशः राशि 2061755/— + 3299892/—) के 16 अंकीय यू.टी.आर संख्या उप वन संरक्षक जोधपुर ने पत्र 12872 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा प्रेषित किया है।

2. प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बढ़ी हुई दरों के अनुरूप जमा करवाई गई अंतर राशि की अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक जोधपुर ने पत्र 12875 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा प्रेषित किया है।

3. निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 560 दिनांक 24.01.2019 को द्वारा श्रीमान को प्रेषित किया गया। प्रकरण में उप वन संरक्षक जोधपुर ने संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे यह कार्यालय सहमत है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान को निम्नानुसार 3 प्रतियों में सादर प्रस्तुत है

क्र स	अधिरोपित शर्त का विवरण	अनुपालना
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि 7.537X 2 = 15.068 अर्थात 15.0568 हेक्टर पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमानदरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 15.068 हेक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु पूर्व में राशि रू 2061755/— कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवाकर पालना कर दी गई वर्तमान में बढ़ी हुई दरों के अनुसार शेष अंतर राशि 355152/— जरिए चालान संख्या 6132975958 दिनांक 16.02.2022 **RS 355152.00 UTR No P06720157297236 dt 08-03-2022** को राजस्थान कैम्पा में जमा करवा कर पालना कर दी गई है।
2	2(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आईए संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007 एफसी दिनांक 5—2—2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी की निर्धारित राशि केम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.534 हेक्टर वनभूमि के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी की राशि 4.38 लाख प्रति हेक्टर की दर से कुल राशि 3299892/— कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 2061755/— तथा

	भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
10	सैद्धांतिक स्वकीृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
11	कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–306/2014एफसी पार्ट दिनांक 28–8–2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा बिना पूर्वानुमति कार्य प्रारंभ न करने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
12	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7–11–2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को दो दैनिक अग्रेजी एवं हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जावें।	यूजर एजेन्सी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को दैनिक हिन्दी एवं अग्रेंजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र संलग्न किया है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/ दिनांक

प्रतिलिपि

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर
2. परियोजना निदेशक, एनएचएआई, परियोजना ईकाई जोधपुर 188 राजीवयान, उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा, जोधपुर पिन 342011को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ (104)/FCA/ROAD/उवसं/2022/154 दिनांकः 08/04/2022

निमित्तः– श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर,

विषयः– Diversion of forest land for the up gradation of jodhpur ring road section - I from dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/32975/2018

प्रसंगः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनाउ के पत्र कमांक 8बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर पत्रांक एफ 14 ( ) 2018/ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/107.–71 दिनांक 16.03.2022 एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत पालना पत्र क्रमांक 17006/1/2022/जो.रि.रो. I/वन विभाग/**863** दिनांकः 31.03.2022 के अनुक्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर रिंग रोड़ (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से 11 शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सन्दर्भित पत्र (4) द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना किए जाने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र (3) द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना की जा चुकी है।

तत्पश्चात कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर पत्रांक एफ 14 ( ) 2018/ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/107.–71 दिनांक 16.03.2022 सन्दर्भित पत्र द्वारा आपने संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की मांग की गई है। तत्पश्चात Online Portal पर नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जा चुकी है जिसकी सूचना आप श्रीमान को पूर्व में ही प्रेषित कर दी गई थी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से 11 शर्तो की सैद्धान्तिक स्वीकृति की सभी शर्तो की अनुपालना पुनः निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.स.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का विवरण	कार्यालय का प्रत्युत्तर
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 x 2 = 15.068 हैक्टर) अर्थात 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रू. 24,16,907 के सम्बन्ध में राशि रू. 20,61,755 जरिये आरटीजीएस/यू.टी.आर. नम्बर CNRBR52019010500584426 दिनांक 05.01.2019 को जमा कर दिये गये थे (Annexure -2) बढी हुई शेष राशि रू. 3,55,152.00 (24,16,907 – 20,61,755) जरिये चालान संख्या 6132975958 दिनांक 16.02.2022 Rs. 355152.00 UTR No P06720157297236 dt 08.03.2022 को राजस्थान कैम्पा में जमा कर दिये गये है (प्रति संलग्न) (Annexure -1)

कृ.पृ.उ.

125

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का विवरण	कार्यालय का प्रत्युत्तर
2.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपकण, एनपीवी हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	(क) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए राशि रू. 32,99,892.00 जरिये आरटीजीएस नम्बर CNRBR5201901050[illegible]26 दिनांक 05.01.2019 को हस्तान्तरित कर दिये गये थे (ख) जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (Annexure -2) (ग) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता संलग्न है। (Annexure -3)
3	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है।	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है। जिसके स्पष्टीकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा उक्त खसरा में नामान्तरण संख्या 1226 दिनांक 04.01.2019 को रकबा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद एवं तरमीम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत है। (Annexure -4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -5)
4	इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक Self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -6)
5	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तंभो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एंव देशान्तर भी मानचित्र एंव पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तंभ के आगे Forward एवं पीछे backward उनकी दिशा bearing भी लिखनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -7)
6	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आईआरसी के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी सैन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -8)

क्र.स.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का विवरण	कार्यालय का प्रत्युत्तर
7	वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एंव न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -9)
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -10)
9	प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालना करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -11)
10	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो का उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण प्रस्तुत करेगें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -12)
11	कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–306/2014 एफसी पार्ट दिनिांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -13)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.12.2018 के निर्देशो की अनुपालना में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012 एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को दो दैनिक अंग्रेजी एंव हिन्दी समाचार पत्रों में क्रमशः राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.01.2019 एवं हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 16.01.2019 को प्रकाशित करवा दिया गया है जिसकी छायांप्रति संलग्न है। (Annexure -14)

जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा जारी FRA certificate दिनांक 30.11.2018 को जारी किया गया है। जिसकी छायांप्रति संलग्न है। (Annexure -15)

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तो की अनुपालना की 4–4 प्रति मय फाईल फोल्डर द्वारा आप श्रीमान के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : 4 फाईल फोल्डर

भवदीय

(रमेश कुमार मालपानी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक:सम/ दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर 188 राजीवयान ,उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा जोधपुर–342011

उप वन संरक्षक
जोधपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

घर-घर औषधि योजना

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ (104)/FCA/ROAD/उवसं/2022/12872 दिनांक: 29/3/2022

निमित्त:–

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर,

विषय:– Diversion of forest land for the up gradation of jodhpur ring road section - I from dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/32975/2018

प्रसंग:–कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर पत्रांक एफ 14 ( ) 2018/ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/826–29 दिनांक 03.03.2022 के अनुक्रम में।

महोदय

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के अनुक्रम में निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यूजर ऐजेन्सी, परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर, के प्रस्ताव अनुसार जमा की गई राशि का प्रपत्र संलग्न कर [redacted] अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:–1

22 Digit XUTRNO- CNRBR52019010500584426

16 Digit UTRNO - 2140H05019780.8E

भवदीय

F.C.A
31/3/22

मुख्य वन संरक्षक
क्रमांक 1314
दिनांक 31/3/22
जोधपुर

(रमेश कुमार मालपानी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक:सम/ दिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर 188 राजीवयान ,उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा जोधपुर–342011

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Customer Payment Details

Customer Payment - 1

[illegible] Information	
[illegible] Number	CNRBR62019010500584426 ✓ (22 digit)
[illegible] Reference No	2140H05011978087 ✓ (16 digit)
[illegible] Participant	CORP0000920
[illegible] Name	CORPORATION BANK
Status	RTGS Credit Confirmed
[illegible] Reason	Credit Confirmation Received
Transaction Details	
Account Type	Customer
Branch	2140 - JODHPUR CHOPASNI ROAD
Account Number	3382206000001
Purpose Code	CashManagementTransfer
Name	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDI
Cheque Number	465409
Transaction Amount	53,61,647.00 INR
Amount In Words	FIFTY THREE LAKH SIXTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY SEVEN ONLY
Value Date (dd/mm/yyyy)	05/01/2019
Other Info	
Ordering Customer Details 1	3382206000001
Ordering Customer Details 2	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDI
Ordering Customer Details 3	PLOT NO 1 AISHWARYAM HEIGHTS
Ordering Customer Details 4	INDIRA NAGAR SENAMANAICKENPATTI
Beneficiary Customer Account 5561	037100101025225
Beneficiary Customer 5561 Details 1	COMPENSATORY AFFORESTATION FUND MAN
Payment 7023 Details 1	NH[illegible]
Account With Institution	
Receiving Participant	CORP000[illegible]

Audit Details

User Id	Date	Version	Auth Number	Reason	Status
[illegible]	2019-01-05 10:39:18.0	0	1		Semi Authorised
[illegible]	2019-01-05 10:50:55.0	0	2		Authorized
[illegible]	2019-01-05 10:50:56.0	0	2		Released
[illegible]	2019-01-05 10:51:08.0	0	2		Sent to PI
[illegible]	2019-01-05 10:51:10.0	0	2		RTGS Credit Confirmed

सत्यापित प्रतिलिपि

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Manager (Tech.)
NHAI, PIU Jodhpur

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ (104)/FCA/ROAD/उवस/2022/12875 दिनांकः 29/3/2022

निमित्तः–

श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर,

विषयः– Diversion of forest land for the up gradation of jodhpur ring road section - I from dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/32975/2018

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र क्रमांक 8बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16 (परिपत्र)2005/सयुक्त रोड/एफ.सी.ए./पार्ट–8/15–27 दिनांक 07.01.2022, Government of India, Ministry of environment, Forest and Climate Change (Forest Covervation Division) Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi cicular dated 06-01-2022 एवं प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र क्रमांक 17006/1/2022/जो.रि.रो–I/वन विभाग/742 दिनांक 17.03.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनउ का पत्रांक 8बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018) में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की बढ़ी हुई राशि जमा करवाकर पालना (वचन बद्धता) रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र क्रमांक 17006/1/2022/जो.रि.रो–I/वन विभाग/742 दिनांक 17.03.2022 द्वारा प्रस्तुत की :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनंत वनभूमि (7.534 X 2 =15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा की जायेगी। वर्तमान मॉडल 1,60,400/–प्रति हैक्टर की बढी हुई दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रूपये 3,55,152/– ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में आर.टी.जी.एस. सं. पी067220157297236 दिनांक 08.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) जमा कर दी गई है।

F.C.A 31/3/22

कृ०पृ०उ०

2 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए.स. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007 एफ. सी. दिनांक 05.02.20009 के तेहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N' GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 6,70140 = 7.534X670140 रूपये = 50,48,835/- (अक्षरे पचास लाख अडतालिस हजार आठ सौ पैतीस रूपये मात्र) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिंदु की दर में बढोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र लिखा जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र क्रमांक 17006 / 1 / 2022 / जो.रि. रो-। / वन विभाग / 742 दिनांक 17.03.2022 (छायाप्रति संलग्न) है।

अतः पालना अग्रेतर कार्यवाही हेतु आप श्रीमान को प्रस्तुत है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश कुमार मालपानी)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक:सम / दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर 188,उम्मेद हैरिटेज रातानाड़ा जोधपुर-342011

उप वन संरक्षक
जोधपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/ 3856 दिनांक 13/5/22

निमित:

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर

विषय: डायवर्जन ऑफ 7.534 हेक्टर फोरेस्ट लैण्ड फार अपग्रेडेशन ऑफ जोधपुर रिंग रोड सेक्शन 1 डांगियावास (0+000) टु नागौर रोड (74+619) इन जोधपुर राजस्थान (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/32975/2018)

संदर्भ:— श्रीमान का पत्रांक एफ14 ( )रोड/2018/एफसीए/प्रमुवस/1461 दिनांक 27—4—2022 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 1175 दिनांक 12—5—2022

1223
18/5/22

18/5/22
DCF(FCA)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा आलौच्य प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये है, बिन्दुवार अनुपालना निम्नानुसार है :—

सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त	संदर्भित पत्र द्वारा अंकित आक्षेप	अनुपालना
शर्त संख्या 4 : इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	शर्त संख्या 4 की पालना विभाग स्तर पर भी की जानी है। यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता के साथ साथ आपके कार्यालय एवं उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पालना हेतु वचनबद्धता दिया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 4 की पालना में एक अतिक्रमण को छोडकर सभी अतिक्रमणों को मौके से हटा दिया गया है। उक्त भूमि में खसरा सं 867 में परियोजना चैनेज संख्या 39+375 से 39+520 तक (राईट हेण्ड साईड) सडक के राईट साइड में स्थित एक अतिक्रमण हटाया जाना शेष है। उक्त अतिक्रमण से संबंधित वाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। माननीय न्यायालय निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण, उप वन संरक्षक, जोधपुर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संयुक्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र जारी कर संलग्न प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 10 सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।	शर्त संख्या 10 की पालना उप वन संरक्षक द्वारा किया जाना आवश्यक है।	उप वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, जो संलग्न है।

संलग्न— उक्तानुसार।

भवदीय

13/5/22

(बेगाराम जाट)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक : एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/ दिनांक

प्रतिलिपि

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना निदेशक, एनएचएआई, परियोजना ईकाई जोधपुर 188 राजीवयान, उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा, जोधपुर पिन 342011 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)–342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ (104)/FCA/ROAD/उवसं/2022/1175 दिनांकः 12/05/2022

निमित्

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

विषयः Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0.000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018)

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन, राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ 14 ( ) 2018 /रोड/एफसीए/प्रमुवसं/1461 दिनांक 27.04.2022 एवं आपका पत्रांक एफ( )एफसीए / मुवसंजो /2018/3747 दिनांक 11.05.2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र की अनुपालना में बिन्दु संख्या 4 एवं 10 के क्रम में लगाऐ गऐ आक्षेपों की इस कार्यालय द्वारा पूर्ति कर 4–4 प्रति में वचनबद्धता संलग्न कर आप श्रीमान के समक्ष अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(विकास अरोडा)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकःसम दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान जयपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर 188, उम्मेद हैरीटेज, रातानाड़ा, जोधपुर–342011 (राज.)

उप वन संरक्षक
जोधपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक,जोधपुर

शीट सं. 10

PROPOSAL NO : FP/RJ/ROAD/32975/2018

PROJECT NAME : Diversion of forest land for the up gradation of jodhpur ring road section - I from dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि प्रत्यावर्तन के उक्त प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।

दिनांक : 12/05/22

(विकास अरोडा)
उप वन संरक्षक
जोधपुर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 4

इस प्रस्ताव मे सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन रक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजो सहित एक Self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें। इस क्रम में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे तथा इस कार्यालय में वांछित कार्यवाही हेतु अवगत कराया जावे ताकि तदानुसार तत्काल पालना की कार्यवाही की जाके।

उक्त परियोजना हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 7.534 हैक्टयर में किया गया था जिसमे मात्र एक अतिक्रमण को छोड़कर सभी अतिक्रमणों को मौके से हटा दिया गया है। उक्त भूमि में खसरा सं. 867 में परियोजना चैनेज सं 39.375 से 39.520 तक सड़क के राईट साइड में स्थित एक अतिक्रमण हटाया जाना शेष है। उक्त अतिक्रमण से सम्बंधित विवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसके लिए न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। (प्रति संलग्न है) न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है। इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

सत्यापित प्रतिलिपि
उप वन संरक्षक
जोधपुर

मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/3291 दिनांक 19/04/2022
निमित:

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए
राजस्थान, जयपुर

विषयः डायवर्जन ऑफ फोरेस्ट लैण्ड फार अपग्रेडेशन ऑफ ज़ोधपुर रिंग रोड सेक्शन 1 डांगियावास (0+000) टु नागौर रोड (74+619) इन जोधपुर राजस्थान (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/32975/2018)

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रांक 8 बी/राज/06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31—12—2018, श्रीमान का पत्रांक एफ14 ( )रोड/2018/एफसीए/प्रमुवस/3740 दिनांक 23—12—21 एवं उप वन संरक्षक जोधपुर का पत्रांक 12872 दिनांक 29.03.2022, 12875 दिनांक 29.03.2022, 154 दिनांक 08.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रत्यावर्तन प्रकरण में श्रीमान के पत्रांक 3740 दिनांक 23.12.2021 के क्रम में उप वन संरक्षक जोधपुर ने संदर्भित पत्रों के द्वारा निम्न सूचनाएं/अनुपालनाएं प्रस्तुत की हैः—

1. श्रीमान के संदर्भित पत्र के द्वारा चाही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा एनपीवी की सम्मिलित जमा राशि 5361647/— (क्रमशः राशि 2061755/— + 3299892/—) के 16 अंकीय यू.टी.आर संख्या उप वन संरक्षक जोधपुर ने पत्र 12872 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा प्रेषित किया है।

2. प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बढ़ी हुई दरों के अनुरूप जमा करवाई गई अंतर राशि की अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक जोधपुर ने पत्र 12875 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा प्रेषित किया है।

3. निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 560 दिनांक 24.01.2019 को द्वारा श्रीमान को प्रेषित किया गया। प्रकरण में उप वन संरक्षक जोधपुर ने संदर्भित पत्र के द्वारा इस कार्यालय को पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे यह कार्यालय सहमत है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान को निम्नानुसार 3 प्रतियों में सादर प्रस्तुत है

क्र स	अधिरोपित शर्त का विवरण	अनुपालना
1	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वनभूमि 7.537X 2 = 15.068 अर्थात 15.0568 हेक्टर पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमानदरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 15.068 हेक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु पूर्व में राशि रू 2061755/— कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करवाकर पालना कर दी गई वर्तमान में बढ़ी हुई दरों के अनुसार शेष अंतर राशि 355152/— जरिए चालान संख्या 6132975958 दिनांक 16.02.2022 **RS 355152.00 UTR No P06720157297236 dt 08-03-2022** को राजस्थान कैम्पा में जमा करवा कर पालना कर दी गई है।
2	2(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आईए संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007 एफसी दिनांक 5—2—2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी की निर्धारित राशि केम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.534 हेक्टर वनभूमि के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी की राशि 4.38 लाख प्रति हेक्टर की दर से कुल राशि 3299892/— कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 2061755/— तथा

	2(ख) इसके उपरान्त जमा की धनराशि की ऑनलाईन ई रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एनपीवी हेतु जमा धन राशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। 2(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर पर) प्रस्तुत करेगें कि यदि एनपीवी की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुए धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एनपीवी की राशि 3299892/– कैम्पा नई दिल्ली के कारपोरेशन बैंक के खाता में UTR No CNRBR52019010500584426 द्वारा जमा करवा दिये गये है। शर्त संख्या 2 के अनुसार एनपीवी की राशि में बढोतरी होने की स्थिति में अन्तर राशि जमा कराने का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
3	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है।	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है। जिसके स्पष्टीकरण हेतु यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त खसरा में नामान्तरण संख्या 1226 दिनांक 4–1–2019 से रकबा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद एवं तरमीम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
4	इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संध में वन रक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
5	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तंभों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तंभ के आगे forward एवं पीछे backword उनकी दिशा bearing भी लिखनी होगी।	इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र यूजर एजेन्सी ने प्रस्तुत किया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी सैन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16–11–2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय क वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
7	वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वनविभाग की देखरेख में किया जायेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय व वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वाररा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय व वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय

	भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
10	सैद्धांतिक स्वकीृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
11	कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-306/2014एफसी पार्ट दिनांक 28-8-2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा बिना पूर्वानुमति कार्य प्रारंभ न करने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
12	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7-11-2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को दो दैनिक अग्रेजी एवं हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जावें।	यूजंर एजेन्सी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को दैनिक हिन्दी एवं अग्रेंजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र संलग्न किया है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/ दिनांक

प्रतिलिपि

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर
2. परियोजना निदेशक, एनएचएआई, परियोजना ईकाई जोधपुर 188 राजीवयान, उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा, जोधपुर पिन 342011को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

	भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
10	सैद्धांतिक स्वकीृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें	यूजर एजेन्सी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
11	कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–306/2014एफसी पार्ट दिनांक 28–8–2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा बिना पूर्वानुमति कार्य प्रारंभ न करने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।
12	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7–11–2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को दो दैनिक अग्रेजी एवं हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जावें।	यूजर एजेन्सी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को दैनिक हिन्दी एवं अग्रेंजी समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र संलग्न किया है।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवसंजो/2018/ दिनांक

प्रतिलिपि

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर
2. परियोजना निदेशक, एनएचएआई, परियोजना ईकाई जोधपुर 188 राजीवयान, उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा, जोधपुर पिन 342011को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
जोधपुर

PROFORMA FOR SUBMISSION OF DETAILS PERTAINING TO TRASFER OF FUNDS RECIVED FROM THE USER AGENCEY IN ADHOC CAMPA

(Diversion of 7.534 Ha. Forest Land for Construction of Jodhpur Ring Road)

S.No.	Name of activity	Details
1	Name of office	DCF Jodhpur
2	State/District/Division to which the proposal	Rajasthan/jodhpur/jodhpur
3	Name of user Agency, Name of the proposal	Project Director, National highways Authority of India, PIU, Jodhpur Diversion of 7.534 Ha. Forest Land for Construction of Jodhpur Righ Road
4	Nature and category of the proposal	Diversion of 7.534 Ha. Forest Land for Construction of Jodhpur Ring Road
5	Proposal Number	FP/RJ/ROAD/32975/2018
6	Extent of the forest area involved	7.534 Ha.
7	Whether the proposal is original or extension	Original
8	If Extension of lease, please clarify if the proposal involves additional fores area and if so, specify	NA
9	Date of 1st stage clearance	31.12.2018
10	Extent of CAMPA charges, head wise	
	1. Compesatory afforestation	20,61,755.00 + 355152.00=2416907.00
	2. Additional CA	-
	3. Penal compensatory afforesttion	-
	4. CAT Plan	-
	5. Wildlife managesment Plan	-
	6. Additional charges for diversion of area falling under notified/protected forest	-
	7. Net present value	32,99,892.00
	8. Any other charges	-
	Total	57,16,799.00
11	Whether the payment made through challan or otherwise in case of online payment details of challan	The payment deposited by RTGS
12	Details of payments deposited in Adhoc Campa Fund	. A/c No.037100101025225 IFSC CORP0000371 Corporation Bank, Lodhi road, new delhi deposited vide UTR No. CNRBR52019010500584426 dt 05.01.2019 and Rs 355152.00 UTR No P06720157297236 dt 08.03.2022

Deputy conservator of forest
Jodhpur

उप वन संरक्षक
जोधपुर
08.04.22

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

क्र: 17006/1/2022/जो.रि.रो.–I/वन विभाग/863 दिनांक: 31.03.2022

प्रेषित

उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषय : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

सन्दर्भ :
(1) इस कार्यालय का पत्रांक 17006/1/2022/जो.रि.रो./ वन/362 दिनांक 07.02.2022
(2) आपका पत्रांक एफ(104)एफ.सी.ए/उवसं/2019–20/11279 दिनांक 07.02.2022
(3) इस कार्यालय का पत्रांक 17006/1/2019/जो.रि.रो./वन/124 एवं 116 दिनांक 16.01.2019 एवं 78 दिनांक 11.01.2019 (प्रति संलग्न)।
(4) आपका पत्रांक एफ( )एफ.सी.ए./उवसं/2018/11707 दिनांक 01.01.2019 एवं 11748 दिनांक 02.01.2019
(5) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर के कार्यालय पत्रांक 8बी/राज/06/30/2018/एफसी/ 560 दिनांक 31.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर रिंग रोड़ (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से 11 शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सन्दर्भित पत्र (4) द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना किए जाने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया। इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र (3) द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना की जा चुकी है।

तत्पश्चात सन्दर्भित पत्र (2) द्वारा आपने संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्व वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र (1) के माध्यम से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्व वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था। तत्पश्चात Online Portal पर नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित राशि इस कार्यालय द्वारा जमा की जा चुकी है जिसकी सूचना आपको पत्रांक 742 दिनांक 17.03.2022 द्वारा दी गई थी। अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर के पत्र दिनांक 31.12.2018 की सैद्धान्तिक स्वीकृति की सभी शर्तो की अनुपालना निम्नानुसार है:–

क्र.स.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का विवरण	इस कार्यालय का प्रत्युत्तर
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 X 2 = 15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रू. 24,16,907 के सम्बन्ध में राशि रू. 20,61,755 जरिये आरटीजीएस नम्बर CNRBR52019010500584426 दिनांक 05.01.2019 को हस्तान्तरित कर दिये गये थे (Annexure -2) शेष राशि रू. 3,55,152.00 (24,16,907 – 20,61,755) जरिये आरटीजीएस नम्बर P067220157297236 दिनांक 08.03.2022 को हस्तान्तरित कर दिये गये है (प्रति संलग्न) (Annexure -1)
2.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपकण, एनपीवी हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(क) शुद्व वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए राशि रू. 32,99,892.00 जरिये आरटीजीएस नम्बर CNRBR52019010500684426 दिनांक 05.01.2019 को हस्तान्तरित कर दिये गये थे (ख) जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति संलग्न है। (Annexure -2) (ग) वचनबद्धता संलग्न है। (Annexure -3)

प्रतिहस्ताक्षर
[signature]
उप वन संरक्षक
जोधपुर

[signature]
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

8

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

3	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है।	इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है। जिसके स्पष्टीकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा उक्त खसरा में नामान्तरण संख्या 1226 दिनांक 04.01.2019 को रकबा 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद एवं तरमीम करवाकर दस्तावेज प्रस्तुत है। (Annexure -4) वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -5)
4	इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संध में वन रक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक Self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -6)
5	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तंभो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एंव देशान्तर भी मानचित्र एंव पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तंभ के आगे Forward एवं पीछे backward उनकी दिशा bearing भी लिखनी होगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -7)
6	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आईआरसी के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी सैन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -8)
7	वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एंव न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -9)
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -10)
9	प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालना करेगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -11)
10	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो का उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण प्रस्तुत करेंगें	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -12)

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

11	कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–306/2014 एफसी पार्ट दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।	वचनबद्धता पत्र संलग्न है। (Annexure -13)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.12.2018 के निर्देशो की अनुपालना में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012 एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को दो दैनिक अग्रेंजी एंव हिन्दी समाचार पत्रों में क्रमशः राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.01.2019 एवं हिन्दुस्थान टाईम्स में दिनांक 16.01.2019 को प्रकाशित करवा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। (Annexure -14)

जिला कलक्टर द्वारा FRA certificate दिनांक 30.11.2018 को जारी किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। (Annexure -15)

अतः इस कार्यालय द्वारा सभी शर्तो की अनुपालना की जा चुकी है इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंतिम अनुमोदन (Final Approval) देने हेतु आगे की कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU, Jodhpur

प्रतिलिपि–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

UTR Number -CNRBR52019010500584426

Ann-I

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-02-2022

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU JODHPUR
Application No.	6132975958
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/30/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	NHAI, PIU 188 Umaid Heritage, Ratnada, Jodhpur (Rajasthan)Jodhpur
Amount(In Rs)	355152/-

Amount In Words :Three Lakh Fifty-Five Thousand One Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856132975958 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-02-2022

Agency Name.	NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA PIU JODHPUR
Application No.	6132975958
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/30/2018/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	NHAI, PIU 188 Umaid Heritage, Ratnada, Jodhpur (Rajasthan) Jodhpur
Amount(In Rs)	355152/-

Amount in Words :Three Lakh Fifty-Five Thousand One Hundred and Fifty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856132975958 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर.

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

UTR Number- CNRBR52019010500584426

AnnI

[illegible]

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

UTR Number – CNRBR52019010500584426

Ann-1 Ann-2

Customer Payment Details

Customer Payment - I

[illegible]	
UTR Number	CNRBR52019010500584426
Transaction Reference No	2140H05011970087
Receiver Participant	CORP0000920
Bank Name	CORPORATION BANK
Status	RTGS Credit Confirmed
Reject Reason	Credit Confirmation Received
[illegible]	
Account Type	Customer
Branch	2140 - JODHPUR CHOPASNI ROAD
Account Number	3302206000001
Purpose Code	CashManagementTransfer
Name	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDI
Cheque Number	465400
Transaction Amount	53,61,647.00 INR
Amount In Words	FIFTY THREE LAKH SIXTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY SEVEN ONLY
Value Date (dd/mm/yyyy)	05/01/2019
[illegible]	
Ordering Customer Details 1	3302206000001
Ordering Customer Details 2	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDI
Ordering Customer Details 3	PLOT NO 1 AISHWARYAM HEIGHTS
Ordering Customer Details 4	INDIRA NAGAR SENAMANAICKENPATTI
Beneficiary Customer Account 5561	0371001010025226
Beneficiary Customer 5561 Details 1	COMPENSATORY AFFORESTATION FUND MAN
Payment 7023 Details 1	NHAI
[illegible]	
Receiver Participant	CORP0000371

[illegible]

User Id	Date	Version	Auth Number	Reason	Status
70858	2019-01-05 10:39:18.0	0	1		Semi Authorised
41554	2019-01-05 10:50:55.0	0	2		Authorized
41554	2019-01-05 10:50:58.0	0	2		Released
41554	2019-01-05 10:51:08.0	0	2		Sent to PI
41554	2019-01-05 10:51:10.0	0	2		RTGS Credit Confirmed

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 2

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Annex-4

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर

आदेश

तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्रांक भू.अ./2018/4751 दिनांक 15.10.2018 द्वारा निवेदन किया [illegible] इनके प्रस्ताव पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व/जडीए/2018/1589-94 दिनांक 03.05 [illegible] ग्राम [illegible] नम्बर 534 [illegible] 15.01 बीघा भूमि [illegible] विकास [illegible] जोधपुर [illegible] बडली के [illegible] नम्बर 534 में सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के [illegible] निर्माण के लिये [illegible] नम्बर 534 की भूमि [illegible] को [illegible] [illegible] बीघा भूमि [illegible] [illegible] नम्बर 534 [illegible] 7.10 बीघा का [illegible] द्वारा [illegible] निर्माण [illegible] में इन्द्राज नहीं किया जा सका। इस प्रकार खसरा नम्बर 534 में से [illegible] 7.10 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर के स्वामित्व में अकन नहीं [illegible] से इस खसरे में से शेष रही 15.01 बीघा सम्पूर्ण भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को [illegible] दिनांक 27.07.2018 [illegible] जबकि [illegible] बीघा भूमि कम की जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण [illegible] थी, अतः आदेश दिनांक 03.05.2018 में संशोधन [illegible] संशोधित आदेश प्रदान करावें; इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की [illegible] चाही गयी।

[illegible] जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर [illegible] अपने पत्र क्रमांक एफ 46/आरक्षण(परियोजना)/2018/2538 दिनांक 31.10.2018 [illegible] के [illegible] क्रमांक 1589 दिनांक 03.05.2018 द्वारा ग्राम बडली [illegible] नम्बर 534 रकबा 15.01 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमि में से 7.10 बीघा [illegible] भूमि [illegible] के निर्माण विभाग [illegible] के नाम [illegible] एवं आदेश [illegible] कोई आपत्ति नहीं [illegible] गयी।

[illegible] तहसीलदार [illegible] की [illegible] जोधपुर की [illegible] [illegible] जडीए/2018 [illegible] दिनांक 03.05.2018 [illegible] बडली [illegible] जोधपुर [illegible] हस्तान्तरित भूमि [illegible] खसरा नम्बर 534 में से [illegible] बीघा [illegible] जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को हस्तान्तरित की जाती है [illegible] नम्बर 534 में [illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर द्वारा [illegible] भूमि [illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर [illegible] जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम इन्द्राज कर अमलदरामद कर इस कार्यालय को [illegible] जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में हस्तान्तरण प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व [illegible] पूर्ण [illegible] कर ही इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
जिला कलक्टर,
जोधपुर

क्रमांक [illegible] राज/हस्तां/जडीए/2018/4121-26
दिनांक 30/11/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. सचिव,जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
2. [illegible] जोधपुर
3. तहसीलदार [illegible]।
4. प्रभारी अधिकारी जिला [illegible] शाखा कार्यालय [illegible]।
5. रक्षित पत्रावली

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर,जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

15

(पहला)

NP 0216340

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम बड़ली पटवार हल्का [illegible] भू. अ. निरीक्षक हल्का [illegible] तहसील जोधपुर जिला जोधपुर राजस्थान

नामान्तरकरण की क्रम संख्या	खतौनी में खाते की संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि (भूमि) वर्गीकरण	लगान या लगान	विवरणों सहित काश्तकार का नाम	नयी जोत की संख्या	विवरणों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि (भूमि) वर्गीकरण	लगान या लगान	विवरण की प्रकृति से कौनसा सहित नामान्तरकरण का स्वरूप तथा तारीख तथा प्रार्थना की तिथि	स्वाक्षर तथा पटवारी की क्रम संख्या	टिप्पणियाँ एवं रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
226		530	7-10	गै.मु. [illegible]		राजकीय भूमि [illegible]; शेष खाता जरिये [illegible]; सत्य प्रतिलिपि; [illegible]		सार्वजनिक निर्माण विभाग; नामान्तरकरण [illegible] स्वीकार किया / [illegible] पाया; 04/01/19; [illegible]; तहसीलदार जोधपुर	530	7-10	गै.मु. सड़क		जोधपुर: श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश [illegible] / [illegible] दिनांक 30.11.18 [illegible] जोधपुर [illegible] के आदेश [illegible] दिनांक [illegible] 27.7.18 [illegible] खसरा नं. 530 [illegible] 7-10 [illegible] राजकीय [illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग [illegible] नामान्तरकरण [illegible] खोला गया है।		

जमाबन्दी

ग्राम : बड़ली
तहसील : जोधपुर
संवत : 2059 - 2062
[illegible] : [illegible]

पटवार क्षेत्र : बासनी
जिला : जोधपुर
[illegible] : 2059

भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र : जोधपुर
दिनांक : 2/4/2003

खाता संख्या		भूमि धारी का नाम	काश्तकार का नाम, पिता जाति तथा निवास स्थान के साथ भूमि तथा कृषि काल	खसरा नं	रकबा	भूमि की किस्म		सिंचाई के साधन	देय लगान		[illegible]	भूमि कहां विशिष्ट जिसके पास भूमि आवंटित की	[illegible]
									रु	पैसा			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
			[illegible] 534 [illegible]	72/1	21-17	गैर मुमकिन	21-17						
			[illegible]	73	69-05	गैर मुमकिन	69-05				नामा.सं.637-जन-20/09/2003 ख. न. 73 में से 24.12बीघा भूमि [illegible] विभाग के नाम दर्ज।		
			[illegible]	78	54	गैर मुमकिन	54						
			[illegible]	82	27-18	गैर मुमकिन	27-18						
			[illegible]	83	29-15	गैर मुमकिन	29-15						
				84	8-18	गैर मुमकिन	8-18						
			[illegible]	88	3306-13	गैर मुमकिन	3306-13	[illegible]			नामा.सं.633-जन-14/07/2003 [illegible] ख. न. 88 में से 2500बीघा [illegible] नामा.सं.637-जन-20/09/2003 ख. न. 88 में से 9.05बीघा भूमि [illegible] विभाग के नाम दर्ज।	[illegible]	
			[illegible]	89	0-05	गैर मुमकिन	0-05						
			[illegible]	90	0-02	गैर मुमकिन	0-02						
			[illegible]	91	0-05	गैर मुमकिन	0-05						
			[illegible]	115/1/595	7-19	गैर मुमकिन	7-19						
			[illegible]	120	13-18	गैर मुमकिन	13-18						
			[illegible]	152	3-17	गैर मुमकिन	3-17						
			[illegible]	170	2-16	गैर मुमकिन	2-16						
			[illegible]	182	9-11	गैर मुमकिन	9-11						
			[illegible]	190	9-09	गैर मुमकिन	9-09						
			[illegible]	277	7-18	गैर मुमकिन	7-18	[illegible]					
				372	36-17	गैर मुमकिन	36-17						
				401	0-03	गैर मुमकिन	0-03						
				489/2	1-05	गैर मुमकिन	1-05						
				520	11-17	गैर मुमकिन	11-17						
				524	277-14	गैर मुमकिन	277-14	[illegible]					
			[illegible] जोधपुर [illegible]	526	445-11	गैर मुमकिन	445-11				नामा.सं.616-जन-11/07/2002 ख. न. [illegible] जिला शिक्षा अधिकारी [illegible] जोधपुर के नाम दर्ज। 526 में से 5-00बीघा नामा.सं.637-जन-20/09/2003 ख. न. 526 में से 45.12बीघा भूमि [illegible] विभाग के नाम दर्ज।	[illegible]	
				534	672-17	गैर मुमकिन	672-17				नामा.सं.637-जन-20/09/2003 ख. न. 534 में से 51.10बीघा		

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
पटवारी [illegible]

Project Director
NHAI
PIU, Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)

Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165

ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 3

इस सैद्धांतिक स्वीकृति में प्लाट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है। अतः इस क्रम में भारत सरकार के पत्र सं. 506 दिनांक 19.11.2018 के बिन्दु सं. 5 में वर्णित अनुसार सक्षम राजस्व अथारिटी से जारी किया गया उक्त आशय का अण्टर टेंकिंग प्रस्तुत किया जावे कि ग्राम बडली के खसरा नं. 534 में उक्त परियोजना हेतु वांछित भूमि वनभूमि नही है।

ग्राम बडली के खसरा नं. 534 में उक्त परियोजना हेतु वांछित भूमि वनभूमि नही है, इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Amm – 6

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)

Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165

ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 4

इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संध में वन रक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक Self contained Note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें। इस क्रम में अपने स्तर से वांछित कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे तथा इस कार्यालय में वांछित कार्यवाही हेतु अवगत कराया जावे ताकि तदानुसार तत्काल पालना की कार्यवाही की जाके।

उक्त परियोजना हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन 7.534 हैक्टयर में किया गया था जिसमे मात्र एक अतिक्रमण को छोड़कर सभी अतिक्रमणों को मौके से हटा दिया गया है। उक्त भूमि में खसरा सं. 867 में परियोजना चैनेज सं. 39.375 से 39.520 तक सड़क के राईट साइड में स्थित एक अतिक्रमण हटाया जाना शेष है। उक्त अतिक्रमण से सम्बंधित विवाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसके लिए न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। (प्रति संलग्न है) न्यायालय के आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है। इस हेतु वचनबद्ध रहेगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 3995/2020

Jai Ram @ Jaya Ram S/o Kripa Ram, Aged About 76 Years, R/o Village Genva (Chokha), Harala Bhakhari, Bypass Road, Jodhpur.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through District Collector, Jodhpur.
2. National Highway Authority Of India Through Project Director, Project Implementation Unit, Rajeevayan, 188, Ummed Haritage Ratanada, Jodhpur.
3. Authorized Officer, Land Acquisition And Sub Divisional Officer, Jodhpur.

----Respondents

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

JUSTICE DINESH MEHTA

Order

20/03/2020

1. In wake of onslaught of COVID-19, lawyers have been advised to refrain from coming to the Courts.

2. Learned counsel for the petitioner was, however, contacted on his mobile to respond to the queries of the Court.

3. With reference to averments made in para No.15 of the writ petition, Mr. Kotwani, learned counsel for the petitioner, asserts that no notice under Section 3A/3C of the National Highways Act, 1956 was issued to the petitioner before acquiring his land.

4. Inviting Court's attention towards the award dated 30.12.2019, it is submitted that the award has been passed and name of the petitioner has been reflected as an interested person, only in view of a meeting held in Collector's Office

5. Upon perusal of the record and in view of what has been informed by Mr. Kotwani, this Court is of the prima facie view that

(Downloaded on 21/03/2020 at 11:11:14 AM)

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

...uisition proceedings of the disputed land had been initiated ...ating the land to be owned/possessed by the Forest Department, whereafter the amount of award has been ordered to be paid to the petitioner.

6. Petitioner appears to have remained unheard though the contentious land belongs to him.

7. Matter requires consideration.

8. Issue notice. Issue notice of the stay application also, returnable on 24.04.2020.

9. Till then, the respondents shall not dispossess the petitioner from his land situated in Khasra No.867/3 and 867/4 of village Geriva (Chokha), Tehsil and District Jodhpur in furtherance of the award dated 30.12.2019.

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

(DINESH MEHTA),J

15-A.Arora/-

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Anm-7

सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)

Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165

ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 5

विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तंभो द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एंव देशान्तर भी मानचित्र एंव पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तभ के आगे Forward एवं पीछे backward उनकी दिशा bearing भी लिखनी होगी।

इस हेतु वचनबद्व रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Anm - 8

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)

Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165

ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

वचनबद्वता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 6

प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता पत्र प्रस्तुत करेगें कि आईआरसी के मानको के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी सैन्ट्रल जोन, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

इस हेतु वचनबद्व रहेंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Ann-9

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 7

वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एंव न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्व रहेंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)

Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165

ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

भा रा रा प्रा NHAI

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 8

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। अतः इस क्रम में वांछित मक डिस्पोजल योजना बनाकर प्रस्तुत की जावे ताकि अग्रिम वांछित कार्यवाही की जा सके।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नवीनतम तकनीकी से परियोजना निर्माण कार्य किया जायेगा अतः मक सृजित नही होगा परन्तु अपरिहार्य स्थिति में यदि मक सृजित होगा तो ग्राम चौपासनी के पीडब्लुडी के खसरा सं 7 में सुरक्षित डिस्पोजल किया जायेगा। इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

वचनबद्वता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 9

प्रयोक्ता अभिकरण एंव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून एवं दिशा निर्देशो का पालना करेगी।

इस हेतु वचनबद्व रहेंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Ann-12

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : **Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)**

शर्त संख्या – 10

सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के उपरान्त भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति एवं कार्यनुमति आदेश जारी होने से पहले मौके पर किसी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न की जावें। तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो का उल्लघंन न किया जाना सुनिश्चित करें।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Amn – 13

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा, जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

सत्यमेव जयते

भा रा रा प्रा NHAI

वचनबद्धता पत्र

परियोजना का नाम : Diversion of 7.534 ha. Forest land in NHAI PIU jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section – I, Dangiyawas 0+000) to Nagaur road (74.619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)

शर्त संख्या – 11

कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11–306 / 2014 एफसी पार्ट दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशो के अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी। अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से कार्य अनुमति जारी न होने तक मौके पर किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालिति न किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।

इस हेतु वचनबद्ध रहेंगे।

(अजय बिश्नोई)
परियोजना निदेशक
Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Annexure - 14

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

[illegible]

पत्र सं. 8बी / राज. / 06 / 30 / 2018 / एफसी / 560 दिनांक: 31.12.2018

सेवा में,

शासन सचिव (वन),
राजस्थान सरकार, सिविल सचिवालय,
जयपुर।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/32975/2018

विषय : Diversion of 7.534 ha forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section, Dangiyawas (0+000) to Nagour Road (74+619) of Jodhpur district of Rajasthan

संदर्भ : शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक—प. 1(67)वन / 2018, दिनांक—28.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर [illegible] शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक—प.1(67) वन / 2018, दिनांक—29.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा [illegible] प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी। [illegible] दिनांक 10.11.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी [illegible] प्रस्तुत अनुपालना आख्या पर [illegible] 7.534 हे. [illegible] 63 वृक्षों के पातन की अनुमति की [illegible] निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:—

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने [illegible] (7.537 x 2 = 15.068ha.) अर्थात 15.068 हे. पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों [illegible] यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) [illegible] सरकार [illegible] संख्या 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 [illegible] राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) [illegible] जमा की जाएगी।

3. [illegible]

4. [illegible] सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस [illegible] वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।

5. [illegible] द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश [illegible] प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी [illegible] (Bearing) [illegible]।

6. [illegible] वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि [illegible] (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, [illegible] संख्या—27 / 2016 [illegible] आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में [illegible] Median पर [illegible] वृक्षारोपण किया जायेगा।

7. [illegible] की देख रेख में किया जायेगा।

8. [illegible]

9. [illegible] नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

10. [illegible] वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

11. कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 11—306 / 2014—एफ.सी. (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं / वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,
(सुबोध स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Hindustan times 16.01.2019

The West Bengal Power Development Corporation
(A Government of West Bengal Enterprise)

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

राजस्थान पत्रिका 15.01.2019

सेवा में,

शासन सचिव (वन)
राजस्थान सरकार
सिविल सचिवालय, जयपुर ।

विषय: **Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section-I, Dangiyawas (0+000) to [illegible] Road (7+019) of Jodhpur district of Rajasthan.**

सन्दर्भ:- शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक-प.1 (67)वन/2018, दिनांक-28.12.2018.

महोदय,

[illegible]

... नारायण बावस्कर उम्र 65 वर्ष, ... हाउस में काम करता हूं। वॉलीबॉल ... गई थी। मित्र की सलाह पर ... दो-दो आयुर्वेदिक डा. ... कैप्सूल लिए। ... 10 वर्ष पुराना ... दर्द ... हो गया है।

अनिता सिकटर उम्र 45 वर्ष, हाउसवाइफ हूँ। कुछ सालों से मेरे ... कंधे एवं गर्दन में दर्द रहने लगा था। परेशानी बढ़ती जा रही थी। सहेली ... पर रोजाना बिना भूले ... डा. ऑर्थो कैप्सूल लेने ... ए। आज मुझे बिलकुल भी ... नहीं ...।

निवेदक

राजस्थान पत्रिका (हिन्दी)
15.01.2019

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

Anh-15

FORM-I
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector Jodhpur
****

No. 4126 Dated: 30/11/18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF&CC), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF&CC issued guidelines on submission of evidences of having initiated and completed the process of settlement of Rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF&CC letter dated 5th February 2013 wherein MOEF&CC issued certain relaxation in respect of linear projects, its certified that 7.534 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of NHAI for Up gradation & Widening of Jodhpur Ring Road Section-I Dangiyawas (0+000) to Nagaur Road (74+619) in Jodhpur District falls within jurisdiction of villages Gewa, Tehsil Jodhpur as given in Annexure-A.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried for the entire 7.534 hectares of forest area proposed for diversion. The Chainage wise details of the Forest area being diverted area enclosed as to Annexure-B. A Copy of record all consultation and meetings of the FRA committees i.e. Ward Level Committees, Sub Divisional Level Committees and District Level committees are enclosed as Annexure –C.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA will be completed by NHAI and FRA committees have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Full Name of the official seat of the District Collector

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर – 188, उम्मेद हैरिटेज, रातानाडा,
जोधपुर – 342011 (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
Project Implementation Unit- Jodhpur – 188, Umaid Heritage, Ratanada
Jodhpur – 342011 (Rajasthan), फोन / Tel. : 0291-2510065, 2511165
ई–मेल : jodhpur@nhai.org, jodhpurpiu3@gmail.com

No. 17006/1/2022/JRR-I/Forest Clearance/ 362

Date: - 07.02.2022

To,

APCCF (FP) and Nodal officer (FCA)
O/O PCCF (HoFF),
Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area
Jaipur -302004

Sub : Diversion of 7.534 ha. forest land for the upgradation of Jodhpur Ring Road Section-I (Dangiyawas km 0+000 to Nagaur road Km 74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP /RJ/Road/32975/2018)-reg.

Ref:
(1) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11279 dated 07.02.2022
(2) Assistant Inspector General of Forest, MOEF&CC office letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 19.01.2022
(3) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11748 dated 02.01.2019
(4) DFO Jodhpur office letter No. F (104) FCA/ DFO/2019-20/11707 dated 01.01.2019
(5) MOEF&CC, Lucknow office letter No. 8B/Raj/06/30/2018/FC/560 dated 31.12.2018.

Sir,

Please see letter under ref. (5) vide which In-Principal approval for above proposal was given by Forest Department along with some conditions mentioned in the letter. Subsequently DFO Jodhpur raised demand for compensatory afforestation (CA) and Net Present Value (NPV) vide letter under ref. (3) & (4) which was Rs. 20,61,755/- and Rs. 32,99,892/- respectively. Accordingly an amount of Rs. 5361647/- was deposited by NHAI in compliance. The other conditions were also complied and intimated to Forest Department vide letter dated 11.01.2019 and 16.01.2019.

Now vide letter under ref. (1) DFO Jodhpur has raised revised demand for CA and NPV which is Rs. 24,16,907/- and Rs. 50,48,835/- respectively. In this regard it is submitted that as per letter under ref. (2) revised rates of NPV is not applicable in our case. The difference of amount in CA is Rs. 3,55,152/- (2416907- 2061755) which would be paid by NHAI after your approval.

In view of above, it is submitted for your approval to deposit the amount of Rs. 3,55,152/- as the difference in CA.

Thanking you

Yours faithfully,

(Ajay Bishnoi)
Project Director

Encl:- As above

Copy to:-
1. CGM (Tech), NHAI RO Jaipur
2. CCF, Forest Department, Jodhpur
3. DFO, Jodhpur
4. M/s Sadbhav Jodhpur Ring Road Section-I
5. IE M/s CEG Ltd.

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

- 2011-FC(Vol-I)

ernment of India
. nent, Forest and Climate Change
. Conservation Division)

Indira
Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road
New Delhi-110 003
Date: 19th January, 2022

To

of Secratry (Forest)/Principal Secretary (Forest),
nments and Union Territory Administrations

age of application of the revised rates of Net Present

cted to refer to this Ministry's letter of even number dated 6.01.2022 ed rates of NPV were conveyed to all State Govts/UTs and to inform d rates of NPV are applicable for all proposals, where:

rinciple approval under Section 2 (ii) of the Forest (Conservation) Act, 80 has been obtained after 06.01.2022, or

2. In-principle approval under Section 2 (ii) of the FC Act was obtained more than five years ago, i.e. on or before 06.01.2017, but Stage—II approval has not been obtained as on 06.01.2022.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Sd/-
(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forests, All State Governments and Union Territory Administrations
2. The Regional Officer, All integrated Regional Offices of the MoEF&CC
3. The Nodal Officer (FCA), All State Governments and Union Territory Administrations
4. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard File

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक,जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकरोड फोन न.0291-2636753 ई-मेल: dfojodhpur@gmail.com

क्रमांक: एफ(104)एफ.सी.ए/उवसं/2019-20/11249 दिनांक: 07/02/2022

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
जोधपुर 188,उम्मेद हैरिटेज, रातानाड़ा,
जोधपुर-342011।

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) In Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018)

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र क्रमांक 8बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 16 (परिपत्र)2005/सयुक्त रोड/एफ.सी.ए./पार्ट-6/15-27 दिनांक 07.01.2022 एवं Government of India, Ministry of environment, Forest and Climate Change (Forest Covervation Division) Paryavaran Bhavan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi cicular dated 06-01-2022 (छायांप्रति संलग्न)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनउ का पत्रांक 8बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/ 32975/2018) में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की बढ़ी हुई राशि जमा करवाकर पालना (वचन बद्धता) रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 X 2 =15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा की जायेगी।

   अतः इस हेतु 1,60,400/-प्रति हैक्टर की दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रूपये 24,16,907/- ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं. 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.20009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 6,70140 = 7.534X670140 रुपये = 50,48,835/- (अक्षरे पचास लाख अडतालिस हजार आठ सौ पैंतीस रूपये मात्र) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे एवं साथ ही भविष्य में अगर उक्त बिंदु की दर में बढोतरी होने पर राशि जमा कराने की वचन बद्धता संलग्न करें।

क्र0पृ0उ0

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रूपये 53,61,647/– यू.टी.आर. संख्या CNRBR52019010500584425 दिनांक 05.10.2019 जमा करा दी गई। अतः बिन्दु संख्या 1 और 2 के बढी हुई राशि रूपये 7465742/– के अनुसार रूपये 21,04,095/– /-(अक्षरे इक्कीस लाख चार हजार पचानवे रूपये मात्र) को बढी हुई दर के अनुसार जमा कर ऑनलाइन ई–रशीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु बढी हुई दर के अनुसार जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तद्उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार राशि कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन राशि जमा कराये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली बढी हुई राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई–चालान द्वारा ऑन लाईन जमा करवाकर चालान की प्रति पर यू.टी.आर. संख्या अंकित कर उपलब्ध करावे, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांकः सम/ दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, अरण्य भवन, जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर
Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
"Rajeevayan"
188, UMAID HERITAGE
Ratanada,
Jodhpur- 342011(Rajasthan)
Tel: 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:-jodhpur@nhai.org

क्र. 17006/1/2018/जेआरआर/वन/124 दिनांक: 16.01.2019

प्रेषित

उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषय : Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for upgradation of Jodhpur – Ring Road Section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagaour Road (74+619) of Jodhpur District of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018-reg.

संदर्भ : (1) इस कार्यालय के पत्रांक 116 दिनांक 16.01.2019
(2) इस कार्यालय के पत्रांक 078 दिनांक 11.01.2019।
(3) आपका कार्यालय पत्रांक एफ ( )एफ.सी.ए./उवस/2018/11707 दिनांक 01.01.2019।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर रिंग रोड़ (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से कुछ शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सन्दर्भित पत्र (2) द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना किए जाने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया जिसमें से बिन्दु संख्या 1 से 7 एवं 9 से 12 तक की पालना सन्दर्भित पत्र (1) एंव (2) द्वारा की जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 08 के सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग संलग्न है।

अतः निवेदन है कि पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ से उक्त प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा की जाए। यह भी अनुरोध है कि कार्यहित में शीघ्रताशीघ्र विधिवत स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति (Working Permission) निर्गत करने की कृपा प्रदान की जाए।

धन्यवाद।

भवदीय,

(प्रस.की. मिश्रा)
परियोजना निदेशक

संलग्न– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ–226024।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
4 मुख्य महाप्रबन्धक (तक), क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, जयपुर।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

37

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर
Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
188, UMAID HERITAGE
Ratanada, Jodhpur– 342011
(Rajasthan)
Tel:- 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:-jodhpur@nhai.org

क्र. 17006/1/2019/जेआरआर/वन/116 दिनांक 16.01.2019

प्रेषित

उप वन संरक्षक
वन विभाग, जोधपुर

विषय : Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for upgradation of Jodhpur – Ring Road Section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagaour Road (74+619) of Jodhpur District of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)-reg.

संदर्भ : (1) इस कार्यालय का पत्रांक 17006/1/2019/जेआरआर/वन/078 दिनांक 11.01.2019।
(2) आपका पत्रांक एफ( )एफ.सी.ए./उवसं/2018/11707 दिनांक 01.01.2019।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर रिंग रोड़ (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सन्दर्भित पत्र (2) द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की पालना किए जाने हेतु इस कार्यालय को लिखा गया जिसमें से बिन्दु संख्या 1 से 7 एवं 9 से 11 तक की पालना सन्दर्भित पत्र (1) की जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 12 के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ भिजवाना हेतु लिखा गया। उक्त की पालना में दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एव अंग्रेजी) क्रमशः राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.01.2019 एवं हिन्दुस्थान टाइम्स में दिनांक 16.01.2019 (प्रति संलग्न) प्रकाशित करवा दिया गया।

सूचनार्थ प्रेषित है।

धन्यवाद।

भवदीय,

(विदित जैन)
प्रबन्धक (तकनीकी)

संलग्न– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ–226024।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (तक.), क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, जयपुर।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर
Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
188, UMAID HERITAGE
Ratanada, Jodhpur – 342011
(Rajasthan)
Tel:- 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:-jodhpur@nhai.org

क्र. 17006/1/2019/जेआरआर/वन/078 दिनांक 11.01.2019

प्रेषित

उप वन संरक्षक
वन विभाग, जोधपुर

विषय : Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for upgradation of Jodhpur – Ring Road Section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagaour Road (74+619) of Jodhpur District of Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018)-reg.

संदर्भ :
(1) आपका पत्रांक एफ( )एफ.सी.ए./उवसं/2018/11748 दिनांक 02.01.2019।
(2) आपका पत्रांक एफ( )एफ.सी.ए./उवसं/2018/11707 दिनांक 01.01.2019।
(3) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र स. पत्रांक 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति. प्रमुवसं एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र स. 4279–80 दिनांक 01.01.2019, मुवसं जोधपुर का पत्र संख्या 30 दिनांक 01.01.2019।

महोदय

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्रों द्वारा निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड़ (Proposal No. FP/RJ/Road/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र 8 बी/राज./06/30/2018/एफ.सी./560 दिनांक 31.12.2018 से कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। उक्त हेतु निम्नानुसार राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया थाः–

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 गुणा 2 = 15.068 हैक्ट.) अर्थात 15.068 हैक्ट. पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, न्यू दिल्ली में जमा की जायेगी।

अतः इस हेतु 1,36,830/– प्रति हैक्ट. की दर से 15.068 हैक्ट. हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रू. 20,61,755/– ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007/एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी है।

अतः प्रस्तावित 7.534 हैक्ट. वनभूमि के लिए 4,38,000/– प्रति हैक्ट. की दर से कुल राशि रू. 32,99,892/– ऑनलाइन कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

वन विभाग के उक्त आदेशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) हेतु कुल रू. 53,61,647.00 (20,61,755.00 + 32,99,892) कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में जरिये आरटीजीएस UTR No. CNRBR52019010500584426 (प्रति संलग्न) से जमा करवा दिये है। अतः वन विभाग के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की जाती है।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU, Jodhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जोधपुर
Project Implementation Unit, Jodhpur

PIU Jodhpur Office
188, UMAID HERITAGE
Ratanada, Jodhpur– 342011
(Rajasthan)
Tel:- 0291-2510065
FAX No.:- 0291-2511165
E-Mail:-jodhpur@nhai.org

2. उप वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक एफ()/2018/विकास/10665 दिनांक 22.11.2018 एवं MoEF के सन्दर्भित पत्र (3) की अनुपालना के क्रम में निवेदन है कि ग्राम बड़ली के खसरा नम्बर 534 में से 7.10 बीघा भूमि का नामान्तकरण एवं तरमीम सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।

3. सन्दर्भित पत्र (2) के माध्यम से आप द्वारा प्रस्तुत शर्तो से सम्बन्धित अण्डरटेकिंग अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है तथा बिन्दु संख्या 8 की पालना के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र ही प्रेषित कर दी जायेगी। बिन्दु संख्या 12 की पालना किए जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है, शीघ्र ही पालना से अवगत करा दिया जायेगा।

धन्यवाद।

भवदीय,

(एस. के. मिश्र)
परियोजना निदेशक

संलग्न– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ–226024।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (तक.), क्षेत्रीय कार्यालय, भाराराप्रा, जयपुर।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

[illegible] dcfjodhpur [illegible]

क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./[illegible]/2018 / 11762 दिनांक 2/1/19

प्रेषित

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई,जोधपुर
188,उम्मेद हेरिटेज रातानाडा
जोधपुर -342011

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PGI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I. Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan.

प्रसंगः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्र सं 8बी/राज./06/30/2018/एफसी/560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति. प्रमुवसं एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र सं 4279 80 दिनांक 01.01.2019 मुवसं जोधपुर का पत्र स. 30 दिनांक 01.01.2019 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 11707 दिनांक 01.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018) के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 के क्रम में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना हेतु आपको अवगत कराया गया है। उक्त शर्तों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

उक्त पत्र की शर्त के बिन्दु संख्या 1 में 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए 1,64,100/-रूपये प्रति हैक्टर की दर के स्थान पर 1,36,830/-रूपये प्रति हैक्टर से राशि 20,61,755/-रूपये कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन जमा करावें।

शेष सभी शर्तें एवं तथ्य यथावत रहेगें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(एन.[illegible])
उप वन संरक्षक
जोधपुर

क्रमांक:सम/

दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए राज.जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में

उप वन संरक्षक
जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

[illegible]

क्रमांक: एफ( )एफ.सी.ए / स्वयं / 2016 / 11401 दिनांक 01 / 01 / 2019

निमित्त

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कार्यान्वयन इकाई जोधपुर
188,अशोक हैरिटेज गवालास
जोधपुर- 342011

विषय: Diversion of 7.534 ha. forest land in NHAI PUI jodhpur for the upgradation of jodhpur ring road section - I, Dangiyawas (0+000) to Nagaur road (74+619) in Jodhpur District Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018)

प्रसंग: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य का पत्र सं. 8बी / राज. / 06 / 30 / 2018 / एफसी / 560 दिनांक 31.12.2018 एवं अति. प्रमुख एवं नोडल अधिकारी एफसीए का पत्र सं. 4279–80 दिनांक 01.01.2019 , मुवसं जोधपुर का पत्र स. 30 दिनांक 01.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर रिंग रोड (Proposal No. FP/RJ/ROAD/32975/2018) के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य ने पत्र स. 8बी / राज / 06 / 30 / 2018 / एफसी / 560 दिनांक 31.12.2018 से निम्नलिखित शर्ताधीन उक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है जिसके संबंध में सन्दर्भित पत्र से अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें ताकि उच्च कार्यालय को उक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने बाबत लिखा जा सके. शर्तों एवं वांछित पालना का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वनभूमि (7.534 X 2 =15.068 हैक्टर) अर्थात् 15.068 हैक्टर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख –रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   अतः इस हेतु 1,64,100 / प्रति हैक्टर की दर से 15.068 हैक्टर हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए राशि रुपये 24,72,659 / - ऑनलाइन कैम्पा नई दिल्ली के खाते में जमा करायी जावे।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 / एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी है।

   अतः प्रस्तावित 7.534 हैक्टर वनभूमि के लिए 4.38 लाख रुपये प्रति हैक्टर की दर से कुल राशि 32,99,892 / –रुपये ऑनलाइन कैम्पा के निर्धारित खाते में जमा करायी जावें।

   (ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

   अतः उपरोक्तानुसार राशि कैम्पा के निर्धारित खाते में ऑनलाइन राशि जमा कराने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

अतः इस क्रम में सक्षम अधिकारी का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें।

3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति मे प्लॉट संख्या 534 की वनभूमि सम्मिलित नही है।
अतः इस क्रम में भारत सरकार के पत्र सं. 506 दिनांक 19.11.2018 के बिन्दु संख्या 6 में वांछित अनुसार सक्षम राजस्व अथारिटी से जारी किया गया स्पष्ट आशय का अण्डर टेकिंग प्रस्तुत किया जावे कि "ग्राम बडली के खसरा न0 534 मे उक्त परियोजना हेतु वांछित भूमि वनभूमि नहीं है।"

4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से 6 माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वनविभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। अतः सभी दस्तावेजो सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करे।

इस क्रम मे अपने स्तर से वांछित कार्यवाही निर्धारित समय में पूर्ण किये जाने बाबत् वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे तथा इस कार्यालय से वांछित कार्यवाही हेतु अवगत करवाया जावे ताकि तदानुसार तत्काल पालना की कार्यवाही की जा सके।

5 विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमास्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

इस क्रम मे अक्षरशः पालना करने हेतु वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेगे कि IRC के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेन्ट्रल जोन बेन्च, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार मे दिनांक 16.11.2015 मे दी गयी आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा–निर्देशन में सड़क के दोनो तरफ तथा median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जायेगा।

अतः इस क्रम मे वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

7. वृक्षो का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या मे वनविभाग की देख रेख मे किया जायेगा।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

अतः इस क्रम मे वांछित मक डिस्पोजल योजना बनाकर प्रस्तुत की जावे ताकि अग्रिम वांछित कार्यवाही की जा सके।

9 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।

अतः इस क्रम में वांछित वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

10 सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के उपरान्त भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति एवं कार्यानुमति आदेश जारी होने से पहले मौके पर किसी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न की जावें। तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानो का उल्लंघन न किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत् वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

11. कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0 (pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी निर्देशो की अनुपालना के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

अतः राज्य सरकार के सक्षम स्तर से कार्य अनुमति जारी न होने तक मौके पर किसी भी प्रकार की गैरवानिकी गतिविधि संचालित न किये जाने बाबत् वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।

12. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफसीए, जयपुर के प्रासंगिक पत्र दिनांक 31.12.2018 को निर्देशो की अनुपालना में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012 एफसी दिनांक 21.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रो की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–1.सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 31.12.2018 की प्रति

2.अति.प्रमुवसं,नोडल एफसीए के पत्र दिनांक 01.01.2019 की प्रति

भवदीय

(अनुपालाल)

उप वन संरक्षक

जोधपुर

क्रमांक सं.: दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए राज.जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, महोदय जोधपुर को उनके प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.01.2019 के क्रम में

उप वन संरक्षक

जोधपुर

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक

जोधपुर

Project Director

NHAI

PIU Jodhpur

4947
31.12.18

104

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/30/2018/एफ.सी./ 560 दिनॉक: 31.12.2018

सेवा में,

शासन सचिव (वन),
राजस्थान सरकार, सिविल सचिवालय,
जयपुर।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/32975/2018

विषय : **Diversion of 7.534 ha. forest land in favour of NHAI PIU Jodhpur for the upgradation of Jodhpur ring road section-I, Dangiyawas (0+000) to Nagour Road (74+619) of Jodhpur district of Rajasthan.**

सन्दर्भ: शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक–प.1(67)वन/2018, दिनांक–28.12.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक – प.(67)वन/2018, दिनांक–29.10.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–19.11.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 7.534 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन 63 वृक्षों के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (7.537 x 2 = 15.068 ha.) अर्थात् 15.068 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. इस सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्लाट सं0 534 की वन भूमि सम्मिलित नहीं है।

31/12/18

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur

103

4. इस प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि पर सभी अतिक्रमण, प्रयोक्ता अभिकरण राज्य सरकार की सहायता से छः माह के भीतर मुक्त करायेगा। इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यवाही भी वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अतः सभी दस्तावेजों सहित एक self contained note इसकी अनुपालना के साथ प्रेषित करें।

5. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक–16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशन में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

7. वृक्षों का पातन अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

11. कार्य प्रारंभ करने की अनुमति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक–28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जा सकेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003
3. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर वन प्रभाग, जोधपुर, राजस्थान।
4. मैनेजर (टेक्निकल) भारती राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पीआईयू 168 उमेद हेरीटेज, रत्नदा, जोधपुर, राजस्थान।
5. वैयक्तिक सहायक,पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।

31/12/18
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिहस्ताक्षर
उप वन संरक्षक
जोधपुर

Project Director
NHAI
PIU Jodhpur